1) (B) महिला घरेलू हिंसा व सशक्तिकरण।

ऐसा कार्य जो किसी महिला अथवा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक क्षति को क्षति पहुँचाए घरेलू हिंसा कहलाते है।

कानून के तहत घरेलू हिंसा में हिंसा व दुर्व्यवहार आते हैं। जैसे - शारीरिक दुरूपयोग।
- लैंगिक शोषण
- मौखिक व भावनात्मक हिंसा
- आर्थिक हिंसा

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित को सुरक्षित किया गया है।

उदाहरण - महिला की सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा को आहत करना।

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो-तिहाई भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं। इनमें से 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।

इसका प्रमुख कारण वैदिक काल से चली आ रही हमारी वेदों में लिखित गई बातों से कि महिलाएँ, पुरुषों के सामने शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है।

- दहेज कुप्रथा, बहस, यौन संबंध से इंकार, स्वादिष्ट खाना न बनाना भी इसके प्रमुख कारण हैं।

घरेलू हिंसा के वजह से घर के अन्य सदस्यों में और खासकर जिस पर अत्याचार होता है, उनके मन के भीतर एक डर बैठ जाता है। उनकी सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। और मुख्यधारा में अपनी जीवन की पटरी को लाने में उन्हें सालों लग जाते हैं।

सबसे बुरा पहलू यह है कि पीड़ित व्यक्ति मानसिक

आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं।

बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप-चुप रहने वाली एवं परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।

बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। और वे अपने स्कूल, कॉलेज, खेलमैदान पर कमजोर बच्चों को इसका प्रदर्शन करते हैं।

इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है और इसके कुछ भाग सिकुड़ जाते हैं। जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता, सीखने की क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित होती है।

सबसे दुख देने वाली बात यह होती है कि जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जब उन्हें उनसे हम ऐसा व्यवहार प्राप्त होता है तो व्यक्ति का रिश्तों से विश्वास उठ जाता है और वो खुद को सबसे अलग और अकेला कर लेता है।

इससे बचाव के लिए हमें घरेलू हिंसक के मानसिक विकार को समझने की आवश्यकता है।

हमें पुरुषों की मानसिकता का गौर से अध्ययन करना होगा और उन्हें समाधान का हिस्सा बनाना पड़ेगा।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के पश्चात हमें नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने हेतु पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने का तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार ने महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पारित किया है। पीड़ित वह महिला है जिसके प्रति रिश्तेदारों ने दुर्व्यवहार किया है।

सरकार ने वन स्टॉप सेंटर, गौरवी मिशन, जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, इसके

अंतर्गत महिलाओं के लिए चिकित्सीय, कानूनी अथवा मनोवैज्ञानिक सेवाओं को एकीकृत पहुँच को सुगम और सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए - लड़के रुलाते नहीं - वोग इंडिया

- ब्रेकथ्रू - वैश्विक मानवाधिकार संगठन

↳ बेल बजाओ अभियान चलया।

मध्य प्रदेश सरकार घरेलू हिंसा के विरुद्ध उषा किरण अभियान चला रही है।

परंतु सबसे उपयोगी प्रयत्न समाज के कुप्रथा से बाहर आने के लिए है महिला सशक्तिकरण

पुरानी मानसिकता के अनुसार महिलाएँ कमज़ोर है और इसलिए उन्हें केवल घर - गृहस्थी ही संभालनी चाहिए इसे ही बदलने की सर्वोपरि आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से पुरुषों के समान अधिकार दिलाना।

सबसे प्रथम हमें शिक्षा पर प्रबल ज़ोर देने की आवश्यकता है। अगर महिलाएँ शिक्षित होगी तभी वे न केवल खुदका या अपने परिवार का अपितु सारे संसार की गरिमा का प्रतिष्ठान कर पाएँगी। एक शिक्षित महिला के पास सारे विकल्प खुले रहते और एक अशिक्षित केवल खेती एवं मज़दूरी ही कर सकती है।

सरकार ने स्वयं सहायता समूह के निर्माण पर काफी बल दिया है, इससे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का बल अधिक हुआ है और गाँवों में खासकर यह समूह एक निश्चित धनराशि इकट्ठा करती है और बैंक से औपचारिक कर्ज लेकर छोटे उद्योग का निर्माण कर आय का साधन खुद बनाती है। और यह महिला सशक्तिकरण का एक रूप मात्र है।

आज महिलाएँ किस पैमाने में आगे बढ़ चुकी

है इसका उदाहरण है। विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख नाओमी ओकाउझा से मिलता है। यही नहीं हम क्षेत्र में महिलाएँ काफी आगे आई हैं, स्पेस में कल्पना चावला, यू एस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, इंदिरा गाँधी यह सभी महिलाएँ आगे आकर महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करती है।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता'

वस्तुतः सशक्तिकरण का अभिप्राय ही सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है। यह दःख की बात है आज भी लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से ज्यादा की नहीं है, जबकि आबादी में उनकी संख्या पचास प्रतिशत है।

हमें स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएँ दी जाए जिनके सहारे वे अपने व्यक्तित्व को स्वेच्छा से निर्मित कर सकें। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजिविका के लिए अधिक से अधिक सहायता मिले तो वे अपनी सृजनशीलता से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। अभी तो उनकी खुद की समस्या यह है कि इनके व्यक्तित्व पर पुरुष वर्चस्व के कारण जो कृत्रिम सामाजिक व्यक्तित्व आरोपित है, उसी से वो पूरी तरह अपने आप को बचा नहीं पा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री उस मुखौटे को उतार फेंके, जो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पहनाया गया और बाद में वे जिसे स्वाभाविक समझने लगी।
अतः इस मानसिकता से मुक्ति जरूरी है, तभी सशक्तिकरण वास्तविक रूप में दिखेगा। आवश्यकता इस बात की है कि इसे ऐसी परिवेश और सहायता मिले, जिससे उसका उत्थान सहजता से हो सके।

DATE:

नैतिक मूल्य और आवश्यकता

नैतिक मूल्य जीवन के वो आधार होते हैं जिसपर हमारे समाज की गाड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। कुछ आधारभूत गुण जैसे निष्ठता, आदर, सम्मान, सुदृढ़ता आदि हमारे जीवन को सही दिशा देने में साकार है।

नैतिक मूल्य हमारे समाज एवं शिक्षा का अभिन्न भाग है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का होना ना सिर्फ आज की आवश्यकता है परंतु सामाजिक कल्याण का एक भाग है।

~~स~~ सोकरेट्स, प्लाटो, चरक, राजा राममोहन राय, गाँधीजी, स्वामी विवेकानंद सभी धार्मिक एवं सामाजिक गुरु हमेशा नैतिक मूल्यों के रास्ते पर चलने का उपदेश देते आए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध की शिक्षाएँ हो (अष्टमार्ग) महावीर स्वामी के मार्ग, प्राफेट मोहम्मद की कुरान शरीफ या कृष्णवाणी श्रीमद भगवतगीता, सभी धर्मों में एक गुण समान है कि वे हमेशा अपने अनुयायी को सच्चे और ईमानदारी के मार्ग में चलने के उपदेश देते हैं और किसी को भी किसी प्रकार के दुःख देने को अपराध मानते है।

आज विश्व नैतिक मूल्यों के अभाव से गुज़र रहा है। जिहाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी का तो चारों ओर बोल-बाला है और लोग इसे बड़े आसानी से अपना रहे हैं। घरेलू हिंसा तो जैसे कोई आम बात हो। सभी को लगता है जब तक किसी को रिश्वत ना दो सरकारी दफ्तर में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। अलग-अलग धर्म के अनुयायी केवल अपने धर्म से मायने रखते हैं और इसी से सांप्रदायिकता भी बढ़ोती हुई है, जैसे बाबरी मस्जिद - राम-मंदिर का मामला। अफगानिस्तान में आतंकिय तालिबान ने बंदूक-राज फैला कर वहाँ के मानव अधिकारों को छीन कर दिया है। सबको केवल दौलत

कमाने से मतलब है उसके तरीके से कोई नाता नही।
आज अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लोग गलत कार्यों में फँसते चले जा रहे है। तस्करी तो जैसे कोई आम चीज हो चाहे वो सोने की हो, चरस-गाँजे की या फिर मानव की ही क्यों ना हो।

समाज के इस रूप से बचाव के लिए और आज भी इंसानियत को बरकरार रखने के लिए आवश्यकता है नैतिक मूल्यों की। जो हमें सर्वप्रथम अपने परिवार और तत्पश्चात शिक्षा और समाज एवं धर्म से ग्रहण करने की आवश्यकता है तभी हम सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, निष्ठापूर्ण मार्ग पर चल सकेंगे।

DATE

राजनीति से लुप्त होते मूल्य

आधुनिक समाज और सामाजिक चिंतन राजनीति द्वारा प्रभावित ही नहीं है बल्कि राजनीति प्रधान भी बन गए हैं। महात्मा गाँधी युगद्रष्टा थे। इन्होंने राजनीति को मूल्य आधारित बनाने का प्रयोग किया, उस प्रयोग में सफल हुए और इस प्रकार एक नवीन जीवन-दृष्टि प्रदान की। आज हर स्तर पर मूल्यहीनता दिखाई पड़ रही है। समाज का हर वर्ग इससे पीड़ित है।

राजनीति में नैतिक मूल्यों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण युद्ध अथवा आंतरिक विद्रोह होता है। युद्ध के समय साध्य महत्वपूर्ण होता है, साधन नहीं। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रमणकारी राष्ट्र की महत्वाकांक्षा और युद्ध की घोषणा राजनीति में अवमूल्यन को दर्शाती है।

महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भागी होता है।

प्रौद्योगिकी के विकास ने औद्योगीकरण और नगरीकरण को नई बुलन्दियों पर पहुँचाया जिससे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। ~~औद्योग~~ आर्थिक-विकास ने लोभ और सुख-प्राप्ति का वातावरण उत्पन्न किया। इस वातावरण ने राजनीति को भ्रष्ट किया। जीवन के हर क्षेत्र में कानून निर्माण एवं नियमन की आवश्यकता होने से असीमित अधिकार को पाकर शासक और प्रशासक दोनों भ्रष्ट हुए। आज आर्थिक शक्ति के आधार पर ही राष्ट्र शक्तिशाली बन सकते हैं। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रयत्नों को जारी रखना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि इस दिशा में राज्य सक्रिय भूमिका निभाएँ। अतः राजनीतिक प्रशासकों एवं लोक सेवकों में सच्चरित्रता और ईमानदारी को प्रोत्साहित करने का एक ही उपाय है कि प्रशासन में पारदर्शिता अपनाई जाए।
जनता में सजगता, न्यायपालिका की सक्रियता और मीडिया की मदद से भ्रष्टाचार के मामलों को कम किया जा सकता है।

मूल्यों की उपेक्षा करने वाला राजनीतिज्ञ केवल निजी लाभ - हानि पर विचार करता है।

राजनीति में नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन में वृद्धि सत्ता लोलुपता, धर्मनिरपेक्षतावादी जीवन तथा धार्मिक आस्था में कमी के कारण आया है।